


आदेश	कार्यवाही विवरण बिमला देवी बनाम सीतारा प्रकरण संख्या 27/2021	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
24-01-22	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से ध्यान में आया कि प्रकरण दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जा चुका था। प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 24.11.2021 को नियत समस्त पत्रावलियों में एक ही तारीख नियत करने पर हस्तगत पत्रावली भी सहवन से उसी तारीख पेशी में रख दी गई। पत्रावली पूर्व में नोट-प्रेस के आधार पर खारिज होने से अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती। फलस्वरूप प्रकरण में आदेश दिनांक 24.11.2021 के अनुसरण में बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p style="text-align: center;"> ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ</p>	



24/11/21

पत्रावली पेश हुई
आया कि प्रक
2021 में नोट
24-01-22

अंत सम्बन्ध में
रजिस्ट्रार के द्वारा
किसी भी प्रकार
का नही चलता
जाएगी है। कोड
डिपॉजिट 8/1/2021
के बाद के लिए
जैसे। तथा प्रक
N01 प्रक में
रखा जा
दिया जाये।

पत्रावली आज डिपॉजिट को प्रशासन आदेशों के
तहत अक्टूबर 2021 के तहत सब पत्रावली
सम्बन्ध में पेश हुई। वास्तव में प्रक अर्थात्
है अंत प्रक प्रक N01 प्रक में खास
किसी प्रकार प्रक में कोड 8/1/2021
को के बाद के लिए का निवेदन किया गया
इस प्रकार से सम्बन्धित प्रक वास्तव
N01 प्रक में खास किया जा चुका है
अब इस प्रकार में कोई कठिनाई
कोडित नही रह जाती है इस प्रकार
में न्यायालय द्वारा जारी कोड
8/1/2021 तहत निरस्त किया जाता है
पत्रावली केवल प्रक के नंबर
ले कम के बाद तकमिले जाया जाकर
कराये।

विमला
पुष्पजकली
देवदास
रजिस्ट्रार (सहायक न्यायाधीश)

सुमन साहू RAS
शिवाजी प्रभाती
प्रशासन आदेशों के तहत अक्टूबर 2021, पत्रावली प्रक
उपस्थित अधिकारी नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा
कोरोना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत
आदेशानुसार विनांकको पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.दे.)
नवलगढ़